न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या :– 01/2023 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/192

दायर दिनांक :– 25.01.2023 निर्णय दिनांक :– 22.11.2024

1. जगदीश पुत्र मांगीलाल (माता स्व. माहेनी पुत्री सरदाराराम) जाति मेगवाल निवासी ग्राम मालमसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी (राजस्थान)

–अपीलाण्ट

बनाम

1. चुतराराम पुत्र सरदाराराम जाति मेगवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
2. हरलालराम पुत्र सरदाराराम जाति मेगवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
3. चनणाराम पुत्र सरदाराराम जाति मेगवाल निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
4. संतोष पुत्र मांगीलाल जाति मेगवाल निवासी मालमसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी
5. मलाराम पुत्र मांगीलाल जाति मेगवाल निवासी मालमसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी
6. सरपंच ग्राम पंचायत बाप पंचायत समिति बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–रेस्पोडेण्टस

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 2496 मौजा बाप

उपस्थित :–1. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता अपीलाण्ट
2. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता रेस्पोडेण्टस संख्या 1 व 2 की और से

–:: निर्णय ::–

अपीलांट राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 इस आशय की पेश कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट, रेस्पोडेण्टस संख्या 4 व 5 के नाम व रेस्पोडेण्टस संख्या 1 ता 3 के पिता सरदाराराम पुत्र लिखमाराम के नाम की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 581 रकबा 50–02 बीघा भूमि ग्राम बाप पटवार क्षेत्र बाप तहसील बाप में स्थित है। सरदाराराम पुत्र लिखमाराम फौत हो चुके है जिनकी वंशावली निम्न प्रकार से है:–

सरदाराराम पुत्र लिखमाराम

चुतराराम	हरलालराम	चनणाराम	लिछमी	झीमों	जमना	शांयति	हवा	मोहनी
पुत्र	पुत्र	पुत्र	पत्नी	पुत्री	पुत्री	पुत्री	पुत्री	पुत्री(फौत)

जगदीश	संतोष	मलाराम
पुत्र	पुत्र	पुत्र

22.11.2024

बाप (फलोदी)

उक्त भूमि पूर्व में सरदाराराम पुत्र लिखमाराम के नाम दर्ज थी और सरदाराराम पुत्र लिखमाराम के नौ वारिसान है। अपीलाण्ट अपने हिस्से अनुसार उक्त भूमि पर मौके पर कब्जा व काश्त है। लेकिन जब सरदाराराम पुत्र लिखमाराम फौत हुवे तो रेस्पोडेण्टस संख्या 1 ता 3 व लिछमी, झीमों, जमना, शांयति एवं हवा ने मुतवफी सरदाराराम के फौतेदगी का नामान्तरकरण संख्या 2496 ग्राम बाप अपीलाण्ट की माता मुतवफी मोहनी से बाले बाले अपीलाण्ट की माता मोहनी को शामिल किये वगैर ही अपने नाम ही भरवा कर स्वीकृत करवा लिया जबकि अपीलाण्ट की माता मोहनी भी सरदाराराम की जायन्दा पुत्री थी फिर भी रेस्पोडेण्टस संख्या 1 ता 3 व लिछमी, झीमों, जमना, शांयति एवं हवा ने ही अपने आप को सरदाराराम के उतराधिकारी होना बता कर सरासर गलत तरीके से नामान्तरकरण स्वीकृत करवा लिया जो सरासर गलत है। इसलिये नामान्तरकरण हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम के विरूद्व होने से काबिल खारिज के है। उक्त वादग्रस्त भूमि पर अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्टस संख्या 4 व 5 का अपने संयुक्त रूप से 1/9 हिस्से पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है और अपीलाण्ट एंव रेस्पोडेण्टस संख्या 4 व 5 ने अपने हिस्से की भूमि पर अपनी अलग अलग रहवासीय ढाणियां, पानी का टांका व पशुओं के बाड़े इत्यादि बना रखे है जिसमें अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्टस संख्या 4 व 5 अपने परिवार सहित चौमासा में निवास करते आ रहे है तथा प्रत्येक वर्ष काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। नामान्तरकरण संख्या 2496 ग्राम बाप स्वीकृत करते समय मुतवफी सरदाराराम के जायन्दा वारिसान की जांच किये बिना ही रेस्पोडेण्टस संख्या 1 ता 3 व लिछमी, झीमों, जमना, शांयति व हवा के पक्ष में भर कर राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद कर दिया गया जो हिन्दू उत्राधिकारी अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्व होने से तथा उक्त नामान्तरकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विरूद्व होने से भी काबिल खारिज के है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम इस प्रकार है कि अपीलाण्ट, रेस्पोडेण्टस संख्या 4 व 5 के नाम व रेस्पोडेण्टस संख्या 1 ता 3 के पिता सरदाराराम पुत्र लिखमाराम के नाम की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 581 रकबा 50.02 बीघा भूमि ग्राम बाप पटवार क्षेत्र बाप तहसील बाप में स्थित है। सरदाराराम पुत्र लिखमाराम फौत हो चुके है। उक्त भूमि पूर्व में सरदाराराम पुत्र लिखमाराम के नाम दर्ज थी और सरदाराराम पुत्र लिखमाराम के नौ वारिसान है। अपीलाण्ट अपने हिस्से अनुसार उक्त भूमि पर मौके पर कब्जा व काश्त है। लेकिन जब सरदाराराम पुत्र लिखमाराम फौत हुवे तो रेस्पोडेण्टस संख्या 1 ता 3 व लिछमी, झीमों, जमना, शांयति एवं हवा ने मुतवफी सरदाराराम के फौतेदगी का नामान्तरकरण संख्या 2496 ग्राम बाप अपीलाण्ट की माता मुतवफी मोहनी से बाले बाले अपीलाण्ट की माता मोहनी को शामिल किये वगैर ही अपने नाम ही भरवा कर स्वीकृत करवा लिया जबकि अपीलाण्ट की माता मोहनी भी सरदाराराम की जायन्दा पुत्री थी फिर भी रेस्पोडेण्टस संख्या 1 ता 3 व लिछमी, झीमों, जमना, शांयति एवं हवा ने ही अपने आप को सरदाराराम के उतराधिकारी होना बता कर सरासर गलत तरीके से नामान्तरकरण स्वीकृत करवा लिया जो सरासर गलत है। इसलिये नामान्तरकरण हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम के विरूद्व होने से काबिल खारिज के है। नामान्तरकरण संख्या 2496 ग्राम बाप स्वीकृत करते समय अपीलाण्ट की माता को सुनवाई का

22.11.24

कोई अवसर तथा नोटिस दिये बिना ही उक्त नामान्तरकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही अपीलाण्ट से करने वाले की गई होने से तथा अभी दिनांक 04.01.2023 को अपीलाण्ट उक्त भूमि में अपनी माता का फौतेदगी नामान्तरकरण की कार्यवाही करने पटवारी हल्का के पास गया और पटवारी हल्का से फौतेदगी नामान्तरकरण की कार्यवाही करने का निवेदन किया तो पटवारी हल्का ने बताया की उक्त जमाबंदी में तुम्हारी माता का नाम दर्ज नहीं है तो अपीलाण्ट ने उक्त भूमि की जमाबंदी मांगी तो पटवारी हल्का ने दिनांक 04.01.2023 को अपीलाण्ट को बताया कि जब तुम्हारे नाना सरदाराराम पुत्र लिखमाराम फौत हुवे तो उनके फौतेदगी नामान्तरकरण में तुम्हारी माता मोहनी को शामिल किये बगैर ही स्वीकृत कर दिया गया इसलिये तुम्हारी माता का नाम वर्तमान जमाबंदी में नहीं है। अपीलाण्ट को दिनांक 04.01.2023 से पूर्व उक्त नामान्तरकरण की जानकारी किसी भी स्त्रोत से नहीं थी इसलिये अपीलाण्ट को उक्त अपील पेश करने में हुई देरी का कन्डोन दिया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अपील अपीलांटस दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटस की तलबी जरिये समन की गई। रेस्पोडेंटस सं. 1 व 2 की तरफ से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी ने वकालतनामा व जवाब प्रस्तुत किया। रेस्पोडेंट्स सं. 3 ता 6 की तरफ से कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अधिवक्ता रेस्पोडेंटस सं. 1 व 2 ने जवाब अपील मय जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जो इस प्रकार है कि अपीलांट ने सरासर गलत तथ्यों के आधार पर उक्त अपील पेश की है और उक्त अपील से अपीलांट का कोई सरोकार नहीं है और न ही उक्त भूमि के किसी भी हिससे पर अपीलांट का कब्जा ही है। सरदाराराम की सभी पुत्रियों ने अपने भाईयों के पक्ष में हकर्तक कर दिया था। इनके अलावा सरदाराराम के अन्य कोई विधिक वारिसान नहीं है। तहसीलदार बाप द्वारा सरदाराराम के सभी वारिसान का हकर्तकनामा तस्दीक कर दिया था। उक्त हकर्तकनामा के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 2496 मौजा बाप भरा जाकर स्वीकृत हुआ। उक्त हकर्तकनामा के आधार पर भरा गया नामान्तरकरण पूर्ण प्रकिया अपनाकर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार सरदाराराम के वारिसान के नाम से ग्राम पंचायत बाप द्वारा मजमें आम में स्वीकृत किया था जो नामान्तरकरण कतई खारिज योग्य नहीं है। नामान्तरकरण संख्या 2496 मौजा बाप स्वीकृत हुवे लगभग 11 वर्ष से अधिक समय हो चुका है और अपीलांट का उक्त भूमि से किसी प्रकार कोई सरोकार नहीं है। अपीलांट ने रेस्पोडेन्टस संख्या 1 व 2 को हैरान व परेशान करने की गरज से उक्त अपील पेश की है। अपीलांट नामान्तरकरण संख्या 2496 स्वीकृत होने के 11 वर्ष बाद में बिना किसी आधार के म्याद बाहर अपील पेश की है तहसीलदार बाप द्वारा सरदाराराम के सभी वारिसान का हकर्तकनामा तस्दीक किया था। उक्त हकर्तकनामा के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 2496 मौजा बाप भरा जाकर स्वीकृत हुआ। उक्त हकर्तकनामा के आधार पर भरा गया नामान्तरकरण पूर्ण प्रकिया अपनाकर हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के अनुसार सरदाराराम के वारिसान के नाम से ग्राम पंचायत बाप द्वारा स्वीकृत किया था। अपीलांट ने उक्त अपील 11 वर्ष बाद में बिना किसी आधार के मियाद बहार अपील पेश की है।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

अपीलांट की अपील म्याद बाहर होने से खारिज किये जाने का आदेश फरमावे। वकील अपीलांट ने साक्ष्य सबूत के रूप में शांति पुत्री सरदाराराम, जमना पुत्री सरदाराराम एवं झीमों पुत्री सरदाराराम के शपथ–पत्र पेश किये, जिन्हे शामिल पत्रावली किया गया।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम एवं राजस्व अपील अंतर्गत 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम सुनी गयी। हमनें पत्रावली मय दस्तावेज का गहनता से अध्ययन किया। हमनें उभय पक्षकरान की बहस ध्यानपूर्वक सुनते हुये उस पर मनन किया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है।

1. अपीलांट जगदीश ने रेस्पोडेन्टस के विरूद्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलांटस के नाना व रेस्पोडेन्टस संख्या 01 ता 03 के पिता सरदाराराम पुत्र लिखमाराम के नाम की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 581 रकबा 50–02 बीघा भूमि ग्राम बाप में स्थित थी, सिरदाराराम के तीन पुत्र, एक पत्नी, पांच पुत्रियां वारिसान थे सिरदाराराम का देहान्त हो चुका था, सिरदाराराम की फौतेदगी के पश्चात रेस्पोडेन्टस संख्या 01 ता 03 व लिछमी, झीमों, जमना, शांयति एंव हवा के नाम नामान्तरण संख्या 2496 स्वीकृत करवा लिया जबकि अपीलांट की माता भी सरदाराराम की पुत्री थी, इसलिए नामान्तरण संख्या 2496 हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के विरूद्व होने के कारण काबिल ए खारिज है। नामान्तरण की स्वीकृति के समय अपीलांट की माता को सुनवाई का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया।
2. अपीलांट ने प्रार्थना पत्र धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम पेश करते हुए निवेदन किया है कि अपीलांटस ने दिनांक 04.01.2023 को अपनी माता का फौतेदगी नामान्तरकरण की कार्यवाही हेतु हल्का पटवारी के पास गया और जमाबंदी मांगी तो हल्का पटवारी ने बताया कि उक्त जमाबंदी मे तुम्हारी माता का नाम नहीं है तो अपीलांट ने जमाबंदी व नामान्तरकरण मांगा तो हल्का पटवारी ने दिनांक 04.01.2023 को अपीलांट को बताया कि तुम्हारे नाना सरदाराराम पुत्र लिखमाराम फौत हुए तो उनके फौतेदगी के नामान्तरण में तुम्हारी माता को शामिल किए बगैर ही स्वीकृत कर दिया गया इसलिए तुम्हारा नाम सम्मिलित नहीं है। अपीलांटस को दिनांक 04.01.2023 को पूर्व नामान्तरकरण की जानकारी किसी भी स्त्रोत से नहीं थी इसलिए अपीलांट को उक्त अपील पेश करने में हुई देरी का कंडोन दिया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे।

रेस्पोडेन्टस संख्या 1 व 2 की बहस के अनुसार अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 2496 ग्राम बाप में वर्णित भूमि सरदाराराम के फौत होने के पश्चात इनके वारिसानों ने चुतराराम, चनणाराम, हरलालराम को दिनांक 04.02.2013 को जरिये पंजीबद्व हकर्तकनामा के दे दी है। उक्त हकर्तकनामा के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 2496 पूर्ण प्रकिया अपनाकर हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम के अनुसार सरदाराराम के वारिसान के नाम ग्राम पंचायत बाप द्वारा मजमें आम में स्वीकृत किया गया। अपीलांट की माता का देहान्त 2016 में हो चुका था। अपीलांट के पिता ना ही अपीलांट की माता का कभी कब्जा रहा है जो तथ्य रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 के मध्य जरिये बंटवाडा डिक्री के विभाजन प्रस्ताव से

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

अपीलांट की अपील म्याद बाहर होने से खारिज किये जाने का आदेश फरमावे। वकील अपीलांट ने तथ्य सबूत के रूप में शांति पुत्री सरदाराराम, जमना पुत्री सरदाराराम एवं झीमों पुत्री सरदाराराम के शपथ–पत्र पेश किये, जिन्हे शामिल पत्रावली किया गया।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम एवं राजस्व अपील अंतर्गत 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम सुनी गयी। हमनें पत्रावली मय दस्तावेज का गहनता से अध्ययन किया। हमनें उभय पक्षकरान की बहस ध्यानपूर्वक सुनते हुये उस पर मनन किया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है।

1. अपीलांट जगदीश ने रेस्पोडेन्टस के विरूद्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलांटस के नाना व रेस्पोडेन्टस संख्या 01 ता 03 के पिता सरदाराराम पुत्र लिखमाराम के नाम की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 581 रकबा 50–02 बीघा भूमि ग्राम बाप में स्थित थी, सिरदाराराम के तीन पुत्र, एक पत्नी, पांच पुत्रियां वारिसान थे सिरदाराराम का देहान्त हो चुका था, सिरदाराराम की फौतेदगी के पश्चात रेस्पोडेन्टस संख्या 01 ता 03 व लिछमी, झीमों, जमना, शांयति एंव हवा के नाम नामान्तरण संख्या 2496 स्वीकृत करवा लिया जबकि अपीलांट की माता भी सरदाराराम की पुत्री थी, इसलिए नामान्तरण संख्या 2496 हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के विरूद्व होने के कारण काबिल ए खारिज है। नामान्तरण की स्वीकृति के समय अपीलांट की माता को सुनवाई का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया।

2. अपीलांट ने प्रार्थना पत्र धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम पेश करते हुए निवेदन किया है कि अपीलांटस ने दिनांक 04.01.2023 को अपनी माता का फौतेदगी नामान्तरकरण की कार्यवाही हेतु हल्का पटवारी के पास गया और जमाबंदी मांगी तो हल्का पटवारी ने बताया कि उक्त जमाबंदी मे तुम्हारी माता का नाम नहीं है तो अपीलांट ने जमाबंदी व नामान्तरकरण मांगा तो हल्का पटवारी ने दिनांक 04.01.2023 को अपीलांट को बताया कि तुम्हारे नाना सरदाराराम पुत्र लिखमाराम फौत हुए तो उनके फौतेदगी के नामान्तरण में तुम्हारी माता को शामिल किए बगैर ही स्वीकृत कर दिया गया इसलिए तुम्हारा नाम सम्मिलित नहीं है। अपीलांटस को दिनांक 04.01.2023 को पूर्व नामान्तरकरण की जानकारी किसी भी स्त्रोत से नहीं थी इसलिए अपीलांट को उक्त अपील पेश करने में हुई देरी का कंडोन दिया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे।

रेस्पोडेन्टस संख्या 1 व 2 की बहस के अनुसार अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 2496 ग्राम बाप में वर्णित भूमि सरदाराराम के फौत होने के पश्चात इनके वारिसानों ने चुतराराम, चनणाराम, हरलालराम को दिनांक 04.02.2013 को जरिये पंजीबद्व हकर्तकनामा के दे दी है। उक्त हकर्तकनामा के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 2496 पूर्ण प्रकिया अपनाकर हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम के अनुसार सरदाराराम के वारिसान के नाम ग्राम पंचायत बाप द्वारा मजमें आम में स्वीकृत किया गया। अपीलांट की माता का देहान्त 2016 में हो चुका था। अपीलांट के पिता ना ही अपीलांट की माता का कभी कब्जा रहा है जो तथ्य रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 के मध्य जरिये बंटवाडा डिक्री के विभाजन प्रस्ताव से

सहा... बाप (फलोदी)

प्रमाणित है। अपील 11 वर्ष बाद रेस्पोडेन्ट संख्या 01 झूठे तथ्यों के आधार पर पेश की गई है जो मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है।

3. हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट ने नामान्तररकण संख्या 2496 को चुनौती दी है अपीलांट की माता सरदाराराम की वारिसान होने के बावजूद नाम दर्ज नहीं किया गया, परन्तु सरदाराराम पुत्र लिखमाराम फौत होने पर इनके सभी वारिसान का हकर्तकनामा तहसीलदार बाप द्वारा तस्दीक किया गया जो हकर्तकनामा की चित्रप्रति से साबित है। हकर्तकनामा के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 2496 मौजा बाप भरा जाकर स्वीकृत हुआ। उक्त हकर्तकनामा के आधार पर भरा गया नामान्तरकरण पूर्ण प्रकिया अपनाकर हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के अनुसार सरदाराराम के वारिसान के नाम स्वीकृत किया गया। सरपंच ग्राम पंचायत बाप, सम्बन्धित भू अभि. निरीक्षक व पटवारी द्वारा विधिक प्रावधानों का सम्यक अनुपालन कर उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किया है। दूसरे न्यायालय सहायक कलक्टर बाप के निर्णय/डिक्री की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 के खाते निर्णय अनुसार अलग अलग कायम किये जाकर तरमीम की हुई, इसी अनुसार इनका कब्जा काश्त है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपीलांट की पैतृक भूमि में हुवे हकर्तकनामा दिनांक 08.06.2016 की चित्रप्रति प्रस्तुत की जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट की माता का देहान्त हकर्तकनामा तहरीर करने की दिनांक से पूर्व हो चुका था। इससे ऐसा प्रतीत होता है अपीलांट को दिनांक 08.06.2016 को यह जानकारी थी इनकी माता का देहान्त पूर्व में हो चुका है। मियाद का बिन्दु अपीलांट के पक्ष में सिद्व नहीं होता है।

अतः उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन व निर्णयन के आधार पर न्यायालय के अभिमत में नामान्तरकरण संख्या 2496 मौजा बाप जो कि हकर्तकनामा के आधार पर भरा जाकर नामान्तरकरण पूर्ण विधिक प्रकिया अपनाकर हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के अनुसार सरदाराराम के वारिसान के नाम स्वीकृत किया गया। अपील को सिद्व करने का भार अपीलांट पर था लेकिन अपीलांट ने ऐसा कोई दस्तावेज/सबूत पेश नहीं किया जो निश्चायात्मक रूप से अपीलांट की माता को सरदाराराम पुत्र लिखमाराम का वारिसान सिद्व कर सकें। अपीलांट की अपील सारहीन होने से अस्वीकार की जानी उचित प्रतीत होती है।

—:: आदेश::—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः अपील अपीलांट अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 मय प्रार्थना पत्र धारा 5, भारतीय परिसीमा अधिनियम 1963 भली— भांति साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर बाप (राज.)

22.11.24

(सुखाराम पिण्डेल, आरएएस)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)